न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 141/2014–15

अन्तर्गत धारा 333 जेड0ऐ0एल0आर0एक्ट

श्री मंत्री प्रसाद पुत्र श्री हरिनन्द, निवसी ग्राम लच्छीवाला, पोस्ट डोईवाला, जनपद देहरादून।

बनाम

1. श्रीमती मोनिका थापा पत्नी श्री विशाल थापा, निवासी ग्राम लच्छीवाला, पोस्ट–डोईवाला, जिला देहरादून 2. श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री हरिनन्द, निवासी ग्राम लच्छीवाला, पोस्ट–डोईवाला, जिला देहरादून 3. उत्तरांचल सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून 4. ग्राम सभा लच्छीवाला द्वारा प्रधान ग्राम लच्छीवाला, पोस्ट–डोईवाला, जिला देहरादून

उपस्थित : श्री पी0एस0 जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री विजय कुमार गुप्ता।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी सं0 : श्री अरूण सक्सेना।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, डोईवाला, जनपद देहरादून के द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन वाद संख्या–24/2013–14 श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री सुख बहादुर, प्रति मंत्री प्रसाद आदि निवासी लच्छीवाला, परगना परवादून, जिला देहरादून अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 30–03–2015 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं :–

सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी श्रीमती शान्ति देवी(मृतका) पत्नी स्व0 सुख बहादुर, निवासी लच्छीवाला, परगना परवादून, जिला देहरादून ने भूमि पुराना खसरा नम्बर–266/1 नया खसरा नम्बर–719 क्षेत्रफल 0.0300 है0 के सम्बन्ध में योजित किया गया एवं दिनांक 14–05–2012 को वादिनी के के अनुपस्थिति के आधार पर वाद अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया। उत्तरदात्री मोनिका थापा द्वारा वादिनी की मृत्यु हो जाने पर मृतका द्वारा की गई उसके पक्ष में एक वसीयत एवं स्वंय को मृतका के पति की सगी बहिन की पुत्री होने के आधार पर मृतका वादिनी के स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 11–06–2012 को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 14–08–2012 को प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र एवं उसके विरूद्व प्रतिवादी/निगरानीकर्ता मंत्री प्रसाद द्वारा की गई आपत्ति के सम्बन्ध में सुनवाई कर यह आदेशित किया गया कि उत्तरदात्री मोनिका के मृतका वादिनी की विधिक प्रतिनिधि होने विषयक अवधारण किया जाना आवश्यक है एवं प्रस्तुत वसीयत पर सुनवाई हेतु दिनांक 31–08–2012 की तिथि निर्धारित की गई। इस मध्य वाद पत्रावली डोईवाला तहसील के सृजन होने के कारण सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, डोईवाला को दिनांक 16–06–2014 को स्थानान्तरित कर दी गई। दिनांक 13–03–2015 को सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, डोईवाला ने आक्षेपित आदेश से

उत्तरदात्री/वादिनी मोनिका थापा को वसीयत के आधार पर वाद को पुनर्जीवित करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र निम्न आदेश द्वारा स्वीकार किया गया :—

''पत्रावली पेश। पुकार पर प्रार्थी व विपक्षी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा दिनांक 11—06—2012 को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके साथ प्रार्थी ने मूल वादिनी मृतक शान्ति देवी की वसीयत इस आशय से प्रस्तुत की गई थी कि इस आधार पर प्रार्थी को शान्ति देवी का वारिस मानते हुए वाद में मृतक शान्ति देवी के स्थान पर पक्षकार के रूप में स्थापित कर मामले को गुण दोष के आधार पर निर्णीत किया जाए। प्रार्थी द्वारा आज न्यायालय में उपस्थित होकर अपना शपथ पत्र तथा अधिवक्ता का वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, जो संलग्न मिसल है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर मामले को न्यायहित में पुनर्जीवित करते हुए दिनांक 11—06—2012 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पक्षकारों को सम्मन जारी हों। पत्रावली अग्रिम विचारण हेतु दिनांक 13—04—2015 को पुनः न्यायालय में पेश हो।''

इसी आदेश के विरूद्व वर्तमान निगरानी प्रस्तुत हुई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं संगत अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सम्बन्धी कथन है कि मूल वादिनी जो कि नेपाली मूल की एवं निःसन्तान थी एवं जिसकी मृत्यु नेपाल में हुई ने ग्रामसभा की वादग्रस्त भूमि पर अपना मकान बना दिया। चूँकि वादिनी को उक्त सम्पत्ति का विक्रय करना था तो उसने आलोच्य वाद योजित कर दिया, कि वादिनी के उपस्थित न होने के कारण वाद अदम पैरवी में निरस्त हो गया परन्तु उत्तरदात्री संख्या—01 द्वारा वादिनी से कोई सम्बन्ध न होने पर भी एक फजी एवं कूटरचित वसीयत बनवा ली एवं एक प्रार्थना पत्र पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र वसीयत के आधार पर प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हुई एवं दिनांक 14—08—2012 को विधिक प्रतिनिधि के निर्धारण हेतु प्रमाण प्रस्तुत करने के निर्देश हुए, कि इस मध्य पत्रावली सहायक कलेक्टर, डोईवाला को स्थानान्तरित हो गई जहाँ दिनांक 30—03—2015 को कोई सुनवाई नहीं हुई जबकि निगरानीकर्ता उपस्थित था, कि उक्त तिथि पर वाद निरस्त होना बताया गया परन्तु बाद में पता चला कि आक्षेपित आदेश पारित कर वाद पुनर्जीवित कर दिया गया, कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14—08—2012 के दृष्टिगत विधिक प्रतिनिधि के सम्बन्ध में आदेश—22 नियम—5 दीवानी प्रकिया संहिता के अन्तर्गत अवधारण आवश्यक था जो कि नहीं किया गया अतः आक्षेपित आदेश तात्विक अनियमितता से ग्रसित है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश दिनांक 14—08—2012 के कम में कोई सुनवाई नहीं की है, कि अधीनस्थ न्यायालय को धोखे में रखकर आदेश पारित कराया गया है जबकि गुणदोष के आधार पर सुनकर ही आदेश होना था। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद विश्वप्रकाश त्रिपाठी व अन्य बनाम उप संचालक चकबन्दी, इलाहाबाद 2015(128) आर0डी0 187 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्त का भी उल्लेख किया है।

उत्तदात्री के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि आक्षेपित आदेश सुनवाई करके ही पारित किया गया है जैसा कि आदेश पत्र से स्पष्ट है, कि आक्षेपित आदेश से कोई अधिकार नहीं उत्पन्न हो रहे हैं मात्र वाद की कार्यवाही के निस्तारण हेतु यह आदेश सहायक है, कि वसीयत पर साक्ष्य एवं जिरह की कार्यवाही वाद के उपर्युक्त स्तर पर होनी है एवं उत्तरदात्री को अपना अतिरिक्त प्रतिवाद पत्र भी प्रस्तुत करना है, कि आक्षेपित आदेश एक अन्तर्वर्तीय एवं वादकालीन (interlocutory) आदेश है जिसके विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं है एवं कि आक्षेपित आदेश से न्याय का मार्ग प्रशस्त होता है।

पूर्व में इस पृष्ठ के प्रथम प्रस्तर में उल्लिखित आक्षेपित आदेश के अवलोकन से

यह स्पष्ट नहीं होता है कि उत्तरदात्री को मृतका की विधिक प्रतिनिधि माने जाने हेतु कोई सुनवाई हुई। उत्तरदात्री ने उक्त तिथि को शपथ पत्र तथा विद्वान अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया था। सामान्यतः वकालतनामा प्रस्तुत करने के दिन विद्वान अधिवक्तागण बहस नहीं करते हैं। एकमात्र वसीयत को आधार मानकर वाद पुनर्जीवित करने का आदेश पारित किया गया जबकि परीक्षण न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 14–08–2012 उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त इस आशय से पारित किया गया था कि उत्तरदात्री/प्रार्थिनी यह प्रमाणित करेगी कि वह मृतका वादिनी की विधिक प्रतिनिधि है। आक्षेपित आदेश से यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसमें प्रतिस्थापन स्वीकार करने का अभिप्राय निहित है। यह सही है कि उत्तरदात्री ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया परन्तु यह कही भी नहीं विवेचित एवं अवधारित है कि शपथ पत्र आदेश–22 नियम–5 दीवानी प्रकिया संहिता के प्रयोजन के लिए पर्याप्त है। वस्तुतः आक्षेपित आदेश सुविवेचित एवं सुव्यक्त (reasoned and speaking) नहीं है। शपथ पत्र एवं अन्य अभिलेखों का कोई परीक्षण/विश्लेषण नहीं किया गया है न ही उत्तरदात्री के विधिक प्रतिनिधि होने का आधार विनिश्चयित किया गया है। तद्नुसार यह आदेश न्याय की दृष्टि में कोई आदेश नहीं है जिसके पारित करने से पूर्व दोनों पक्षों के उपस्थित होते हुए भी उन्हें स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यथा निर्देशित सुना नहीं गया। तद्नुसार आक्षेपित विधिक एवं तात्विक अनियमितता से ग्रसित होने के दृष्टिगत आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है।

जहाँ तक निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्था का प्रश्न है यह न्याय व्यवस्था अप्रमाणित वसीयत के सम्बन्ध में है। मेरे विचार से वसीयत को पूर्ण रूपेण सिद्व करने का स्तर विधिक प्रतिनिधि के अवधारण के स्तर पर अनिवार्य नहीं है। हाँ वाद के अन्तिम निस्तारण हेतु ऐसा किया जाना आवश्यक होगा। तद्नुसार उक्त न्यायिक व्यवस्था इस प्रकरण में पूर्णतः सटीक नहीं है। यह अधीनस्थ न्यायालय पर निर्भर करेगा कि वह विधिक प्रतिनिधि के आदेश–22 नियम–5 दीवानी प्रकिया संहिता के अन्तर्गत अवधारण हेतु किस सीमा तक कथित वसीयत के अनुप्रमाणन एवं अन्य तथ्यों से अपनी सँतुष्टि करे परन्तु ऐसी सँतुष्टि का आधार एवं कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा। यहाँ पर मात्र इतना स्पष्ट किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने पूर्व आदेश दिनांक 14–08–2012 के कम में विधिक प्रतिनिधि के सम्बन्ध में स्पष्ट अवधारण करे एवं ऐसे अवधारण का आधार एवं कारण स्पष्ट रूप से उल्लिखित करे। तद्नुसार ही प्रतिस्थापन किये जाने एवं न किये जाने पर निर्णय ले।

जहाँ तक उत्तरदात्री के विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि आक्षेपित आदेश एक अन्तर्वर्तीय एवं वादकालीन आदेश है ~~का प्रश्न है~~ जिसके विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं है का प्रश्न है मूल वादिनी के विधिक प्रतिनिधि का निर्धारण मेरे विचार से एक अन्तर्वर्तीय/वादकालीन आदेश न होकर एक सारवान(substantive) आदेश है क्योंकि इसके आधार पर एक नये पक्षकार के वाद में संयोजन का प्रकरण अन्तर्निहित है जो वाद की दशा परिवर्तित कर सकता है जिसके औचित्य एवं वैधानिकता का परीक्षण निगरानी में हो सकता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 30–03–2015 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि परीक्षण न्यायालय अपने आदेश दिनांक 14–08–2012 के कम में उत्तरदात्री संख्या–01 के मृतका वादिनी के विधिक प्रतिनिधि होने के सम्बन्ध में आदेश–22 नियम–5 दीवानी प्रकिया संहिता के प्राविधानों को ध्यान में रखकर अवधारण कर प्रतिस्थापन सम्बन्धी बिन्दु का विनिश्चयन कर वाद की अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित करे। निगरानीकर्ता के

विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र जिस पर उत्तरदात्री के विद्वान अधिवक्ता ने अनापत्ति व्यक्त की है को सम्बन्धित वादकारियों की सुविधा दृष्टिगत रखते हुए सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **16–03–2016** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।